



आरटीजीएस/एनईएफटी/आंतरिक लेन-देन शाखा: _____ दिनांक : _____

कृपया जरूरी बॉक्सों पर निशान लगायें

RTGS NEFT INTERNAL TRANSFER

कृपया मेरे/अपने खाता संख्या..... जो कि नाम पर है (खाताधारक का नाम).....या सही तरीके से भरा हुए चेक नंबर.....राशि.....(शब्दों में) से डेबिट करें :

गैर-व्यक्तिगत/संस्था खातों के मामले में 50 करोड़ रुपये से ज्यादा की भारतीय राशि के आरटीजीएस/एनईएफटी लेन-देन पर कानूनी पहचानकर्ता(एलईआई)मान्य

आवेदक का एलईआई नंबर लाभार्थी का एलईआई नंबर

(क) आरटीजीएस एनईएफटी - मोबाईल नंबर ई-मेल

क्र.स.	लाभार्थी का नाम और पता	लाभार्थी का खाता नंबर	लाभार्थी के खाता नंबर की पुनःपुष्टि	लाभार्थी का खाता - स्थानीय, एनआरई, एनआरओ*	लाभार्थी के बैंक का नाम, शाखा और शहर	लाभार्थी के बैंक का आईएफएससी कोड	राशि

(ग) आंतरिक लेन-देन

क्र.स.	लाभार्थी का नाम	लाभार्थी का खाता नंबर	लाभार्थी के खाता नंबर की पुनःपुष्टि	लाभार्थी का खाता - स्थानीय, एनआरई, एनआरओ*	राशि

* एनआरई/एनआरओ भुगतान का कारण /लेन-देन विवरण

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं का नाम (अगर कंपनी/फर्म है तो स्टैम्प)

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम

ग्राहक रसीद

आरटीजीएस/एनईएफटी/एफटी के लिएराशि का आवेदन प्राप्त हुआ है।

खाता संख्या _____

दिनांक: _____ समय _____

ग्राहक कृपया फॉर्म में लिखी गई नियम एवं शर्तों को ध्यान से पढ़ें।

नियम एवं शर्तें

बार्कले बैंक के बचत/एनआरई/एनआरओ खातों में से पैसों के लेन-देन या चालू खातों में से आरटीजीएस/एनईएफटी/आंतरिक लेन-देन के लिए

- बार्कले बैंक पीएलसी (“बार्कले बैंक”) इस निर्देश फॉर्म (“निर्देश”) में ग्राहक द्वारा अधूरी जानकारी देने पर उस पर कोई कार्यवाही नहीं करेगा।
- ग्राहक द्वारा जारी किए गए निर्देशों पर बार्कले बैंक द्वारा कार्यवाही करने के पश्चात्, ग्राहक यह समझता है कि ग्राहक की तरफ से मिले रद्दीकरण निर्देशों पर बार्कले बैंक संभवतः कार्यवाही ना करे तथा बार्कले बैंक की इस संदर्भ में कोई जवाबदेही भी नहीं होगी।
- ग्राहक लेन-देन संबंधी जानकारी की सत्यता के प्रति पूर्णतः जवाबदेह एवं जिम्मेवार रहेगा जिसमें लाभार्थी एवं लेन-देन से संबंधित सभी जानकारी भी शामिल है। ग्राहक यह स्वीकार करता है कि बार्कले बैंक लाभार्थी से संबंधित जानकारी को सत्यापित करने की स्थिति में नहीं रहेगा। ग्राहक यह भी स्वीकृत एवं समझता है कि ग्राहक द्वारा फॉर्म में प्रदान की गई जानकारी के आधार पर ही लाभार्थी के खाते में राशि को क्रेडिट किया जाएगा।
- ग्राहक यह स्वीकृत एवं समझता है कि लेन-देन में अलग-अलग प्रकार के मध्यवर्ती या काउंटर पार्टियां हो सकती है। ग्राहक यहां सत्यापित करता है कि बार्कले बैंक तकनीकी कारणों, अन्य पार्टियों की गलतियों या कार्यों या बार्कले बैंक के नियंत्रण से बाहर परिस्थितियों के कारणवश लेन-देन के निपटान में होने वाली देरी/कमियों के लिए जवाबदेह या उत्तरदायी नहीं होगा।
- ग्राहक को निर्देश फॉर्म में किए गए बदलावों पर हस्ताक्षर करना होगा और उसके लिए वह स्वतः ही जिम्मेवार होगा।
- ग्राहक यह सुनिश्चित करेगा कि इस निर्देश फॉर्म को जमा करते समय ग्राहक के खाते में पर्याप्त राशि मौजूद है।
- कट-ऑफ समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले आरटीजीएस और एनईएफटी निर्देश अगले कार्यकारी दिवस में स्वीकृत होंगे।
- ग्राहक यह भी समझता है कि अगर निर्देश फॉर्म में आरटीजीएस एनईएफटी विकल्प नहीं चुना जाता है, तो बैंक की सुविधानुसार एनईएफटी या आरटीजीएस के माध्यम से लेन-देन किया जाएगा।
- एनआरओ/एनआरई खातों के लिए, लेन-देन का कारण बताना अनिवार्य है।
- 1 अप्रैल 2021 से, जहाँ एक या दोनों पार्टियाँ गैर-व्यक्तिगत है और लेन-देन 50 करोड़ रूपये से ज्यादा का है तो वहाँ आरटीजीएस और एनईएफटी लेन-देन करते समय भेजने वाले और लाभार्थी की एलईआई जानकारी देना अनिवार्य है।
- ग्राहक यह भी समझता है कि बार्कले बैंक, किसी भी समय, इन नियम एवं शर्तों को बदल सकता है, और वे बदले हुए नियम एवं शर्तें ग्राहक पर तभी से लागू होंगी।
- ये निर्देश भारत में समय-समय पर प्रभावी मान्य कानूनों एवं विनियमों के अधीन तथा संचालित है।

